न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 11 / 2022 **दायर दिनांकः 23 / 02 / 2022**

उनवान

1. फातमा बेगम आयु 76 वर्ष पुत्री हसन खां जाति मुसलमान निवासी दिलोद हाथी तहसील अटरू हाल निवासी गरीब नवाज कॉलोनी रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0।
2. शकीला आयु 62 वर्ष पुत्री हसन खां जाति मुसलमान निवासी दिलोद हाथी तहसील अटरू हाल निवासी कोली मोहल्ला मस्जिद के पास सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0।

प्रार्थीयागण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय दिनाकः 06 / 07 / 2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीयागण ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल दिलोद हाथी पटवार हल्का दिलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 516 का ख0नं0 797 का रकबा 0.04 है0 आराजी प्रार्थियागण एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारियों ने प्रार्थिया क्रम 1 का नाम फाता बाई तथा प्रार्थिया क्रम 2 का नाम सकीना गलत दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थिया क्रम 1 का सही नाम फातमा बेगम तथा प्रार्थिया क्रम 2 का सही नाम शकीला है। इसलिए उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थियागण का सही नाम दर्ज किया जावे। प्रार्थियागण के दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र बैंक पास बुक इत्यादि दस्तावेज में प्रार्थिया क्रम 1

का सही नाम फातमा बेगम तथा प्रार्थिया क्रम 2 का सही नाम शकीला दर्ज है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया क्रम 1 का नाम फाता बाई के स्थान पर सही नाम फातमा बेगम तथा प्रार्थिया क्रम 2 का नाम सकीना के स्थान पर सही नाम शकीला दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थियागण का सही नाम दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थियागण को सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पडेगा जिससे प्रार्थियागण को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। अस्तु प्रार्थियागण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया क्रम 1 का सही नाम फातमा बेगम तथा प्रार्थिया क्रम 2 का सही नाम शकीला दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थियागण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थियागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया क्रम 1 का सही नाम फातमा बेगम तथा प्रार्थिया क्रम 2 का सही नाम शकीला दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। pw1 फातमा बेगम पुत्री हसन खां, pw2 शकीला पुत्री हसन खां जाति मुसलमान निवासी दिलोद हाथी का शपथ पत्र पेश किया गया तथा शपथ बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादीगण ने बताया कि ग्राम एवं माल दिलोद हाथी पटवार हल्का दिलोद हाथी की आराजी खाता संख्या 516 का ख0नं0 797 का रकबा 0.04 है0 आराजी प्रार्थियागण एवं अन्य सहखातेदार के दर्ज खाता स्थित है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थिया क्रम 1 का नाम फाता बाई तथा प्रार्थिया क्रम 2 का नाम सकीला गलत दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थिया क्रम 1 का सही नाम फातमा बेगम तथा प्रार्थिया क्रम 2 का सही नाम शकीला है। इसलिए उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थियागण का सही नाम दर्ज किया जावे। pw3 रफिकन बानो पुत्री हसन खां, pw4 हफीजन पुत्री हसन खां जाति मुसलमान निवासी खेडलीगंज के शपथ बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्य गवाहों ने बताया कि हम बहिनों हफीजन, फातमा बेगम, रफिकन बानां व शकीला के शामलाती खाते की जमीन ग्राम दीलोदहाथी में स्थित है। उक्त जमीन में मेरी बहिन फातमा बेगम का नाम फाता बाई तथा शकीला का नाम शकीना खाते में गलत दर्ज कर रखा है। जबकि मेरी

बहिनों का सही नाम फातमा बेगम व शकीला है। इसलिए उन दोनों का दस्तावेजों के मुताबिक सही नाम फातमा बेगम व शकीला दर्ज किया जावे।

3. अभिभाषक प्रार्थीयागण की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया क्रम 1 का सही नाम फातमा बेगम तथा प्रार्थिया क्रम 2 का सही नाम शकीला दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

4. बहस के प्रकाश में उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम दिलोद हाथी की प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 516 किता ख0नं0 797 रकबा 0.04 है0 शामलाती खाते में प्रार्थिया क्रम 1 का नाम फाताबाई पुत्री हसनखां व प्रार्थीया क्रम 2 का नाम सकीना पुत्री हसनखां राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थियागण द्वारा पेश अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक पासबुक, पेन कार्ड आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथिया क्रम का नाम फातमा बेगम और प्रार्थिया क्रम 2 नाम शकीला है।

5. अतः रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में प्रार्थियागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल दिलोद हाथी की आराजी खाता संख्या 516 का ख0नं0 797 का रकबा 0.04 है0 आराजी में सहखातेदार फाताबाई पुत्री हसनखां के स्थान पर फातमा बेगम पुत्री हसनखां तथा सकीना पुत्री हसनखां के स्थान पर शकीला उर्फ सकीना पुत्री हसनखां राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां